राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या –159/2007/राजसमन्द

राज. सरकार जरिये उप पंजीयक, नाथद्वारा। .....प्रार्थी.

बनाम

1. कृष्णकान्त, रमेशचन्द, पुरूशोत्म, श्रीजीलाल, आमप्रकाश, पिता–श्री कालूलाल, सनाढ्य ब्रहाम्ण, निवासीगण–नाथद्वारा, तहसील–नाथद्वारा।
2. श्री मदनलाल पिता श्री रमण लाल, सनाढ्य ब्रहाम्ण, निवासीगण–नाथद्वारा, तहसील–नाथद्वारा। .....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रार्थी राजस्व की ओर से.

अनुपस्थित । .....अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20.10.2014

निर्णय

उक्त निगरानी प्रार्थी राजस्व की ओर से उप पंजीयक–नाथद्वारा (जिसे आगे "उपपंजीयक" कहा जायेगा) द्वारा उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवम् पदेन कलेक्टर (मुद्रांक), वृत–भीलवाड़ा द्वारा अप्रार्थीगण के मध्य निष्पादित हकत्याग दस्तावेजों बाबत मुद्रांक देयता का निर्धारण करने हेतु राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में दिनांक 26.04.2002 को अपने स्वामित्व की सम्पति कस्बा–नाथद्वारा की सम्पति मय कृषि भूमियों में से स्वयम् के हिस्से का हक–त्याग करते हुए हक त्यागपत्र का दस्तावेज (रिलीज डीड) रू.100/– के मुद्रांक पत्र पर निष्पादित करते हुए दिनांक 26.04.2002 को पंजीयन हेतु उप पंजीयक, के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे उपपंजीयक द्वारा पंजीबद्ध कर, दस्तावेज पक्षकारों को लौटा दिया गया। तत्पश्चात्, महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा निरीक्षण कर, पूर्व में पजीबद्ध उक्त दस्तावेज को हक त्याग का नहीं होना अवधारित किया गया। जिसके पश्चात्, उप–पंजीयक द्वारा उक्त सम्पत्ति में उक्त को कन्वेयन्स की श्रेणी में मानते हुए इसकी मालियत रू.2,71,195/– प्रस्तावित करते हुए तद्नुसार मुद्रांक शुल्क वसूली हेतु मुद्रांक अधिनियम के अन्तर्गत कमी मालियत का रेफरेन्स प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) को प्रेषित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा उभय पक्षों की सुनवाई के पश्चात प्रश्नगत दस्तावेज को रिलीज–डीड की श्रेणी में आना अवधारित करते हुए अप्रार्थीगण द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने के समय अदा किये गये मुद्रांक/पंजीयन शुल्क को पर्याप्त मानते हुए उप पंजीयक द्वारा प्रेषित रेफरेन्स

लगातार.....2

अस्वीकार किये जाने का आदेश दिनांक 20.09.2006 पारित किया गया। कलेक्टर (मुद्रांक) के उक्त आदेश से व्यथित होकर राजस्व द्वारा यह निगरानी मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र एवं शपथपत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस के दौरान विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कथन किया गया निष्पादित दस्तावेज पर राजस्थान मुद्रांक कानून (एडप्शन) अधिनियम 1952 की द्वितीय अनुसूची के आर्टिकल 55 के बिन्दु संख्या (बी) के अन्तर्गत हक त्याग किये गये हिस्से की सम्पत्ति की मार्केट वैल्यू पर कन्वेयन्स की दर से मुद्रांक शुल्क देय होगी। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त कलेक्टर (मुद्रांक) द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा निष्पादित किये गये विवादित दस्तावेज को हकत्याग की श्रेणी में आना मानते हुए इस पर ' 100/– मुद्रांक शुल्क की देयता माने जाने में विधिक भूल की गई है। अतएव कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण पर्याप्त एवं संतोषप्रद होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद स्वीकार किया जावे। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश अपास्त करते हुए राजस्व की निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता का यह भी कथन है कि निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत लिमिटेशन एक्ट 1963 की धारा 5 के प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण पर्याप्त एवं संतोषप्रद होने के कारण निगरानी प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद स्वीकार किया जावे। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा कलेक्टर (मुद्रांक) का निगरानी अधीन आदेश अपास्त करते हुए राजस्व की निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

अप्रार्थीगण को सुनवायी हेतु सूचना दैनिक अखबार राष्ट्रदूत में दिनांक 21.06.2013 को कर बोर्ड द्वारा प्रकाशित करवायी जाकर प्रकरण को सुनवायी हेतु नियत तिथि 12.08.2013 संबंधी सूचना/प्रकाशित करवायी गयी। उक्त रिकॉर्ड पत्रावली पर मौजूद है। परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकतरफा कार्रवाई की जाकर विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर, निर्णय पारित किया जा रहा है ।

विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

लगातार.....3

हस्तगत प्रकरण में कलेक्टर (मुद्रांक) के निगरानी अधीन आदेश दिनांक 20.09.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के साथ संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र में अंकित कारणों को पर्याप्त एवं संतोषप्रद मानते हुए निगरानी प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन करते हुए निगरानी अन्दर मियाद स्वीकार की जाती है।

हस्तगत प्रकरण में रिकॉर्ड पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि सम्पति के मूल स्वामी श्री रमणलाल आत्मज मन्नालाल, सनाढ्य ब्राहम्ण, निवासी–नाथद्वारा थे जिनके स्वर्गवास के उपरांत प्रश्नगत सम्पति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत् वारिस पुत्र या पुत्रियां होते हैं। हस्तगत प्रकरण में पुत्री गोविन्दी बाई की मृत्युउपरांत उनके 1/5 हिस्सा के वारिस उनके पुत्रगण, अप्रार्थीगण संख्या–1 ने उक्त 1/5 हिस्से का हकत्याग अपने मामा अर्थात अप्रार्थी संख्या–2 के पक्ष में हक–त्याग करते हुए रू. 100/– के मुद्रांक पर निष्पादित रिलीज डीड पंजीयन हेतु उप पंजीयक के समक्ष दिनांक 26.04.2002 को प्रस्तुत किया गया। हक त्यागकर्ता द्वारा जिन्होंने अपनी माता की सम्पत्ति को अपने मामा के पक्ष में हक त्याग किया है। मुद्रांक अधिनियम के अनुच्छेद 55 के अनुसार पैतृक सम्पत्ति को दावे, हक या हिस्से का त्याग सगे भाई बहिन या उसके रिश्तेदारों के विधिक वारिसान द्वारा किया जा सकता है। जिस पर मुद्रांक कर 100/– रूपये निर्धारित है। इस प्रकार हक त्यागकर्ता ने अपने पिता की सम्पत्ति को मामा के पक्ष में हक त्याग नहीं किया है बल्कि अपनी माता को उनके पिता द्वारा प्राप्त सम्पत्ति यानि हक त्याग करने वाले के नाना व नानी की सम्पत्ति को मामा के पक्ष में हक त्याग किया जो पूर्णतः अनुच्छेद 55 के अनुसार हक त्याग की परिभाषा में आता है। प्रथम पक्ष की माता को बहन के बतौर द्वितीय पक्ष जो कि (प्रथम पक्ष की माता के भाई है, के पक्ष में राजस्थान मुद्रांक विधि (अनुकूलन) अधिनियम 1952 की द्वितीय अनुसूची के अनुच्छेद 55 (क) के प्रावधानों के अन्तर्गत भाई–बहन का सम्बन्धी होने से हक त्याग का पूर्ण अधिकार है। तथा प्रथम पक्ष उक्त बहन के विधिक वारिस होने से वे भी हक त्याग करने में पूर्णतः सक्षम है। इस प्रकार एक बहन के विधिक वारिसान द्वारा उक्त बहिन के भाई के पक्ष में हक त्याग करने से प्रश्नगत दस्तावेज अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही निष्पादित किया गया है।फलतः उपर्युक्त विवेचनानुसार कलक्टर द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसम्मत होने के कारण राजस्व द्वारा प्रस्तुत निगरानी अस्वीकार की जाती है ।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

20.10.17

(मदन लाल)
सदस्य